कार्यपालन सारांश

कर संग्रहण	वर्ष 2010–11 में राज्य आबकारी प्राप्तियों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 22.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण नीलाम राशि में वृद्धि होना है ।
वर्ष 2010–11 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2010–11 में हमने राज्य आबकारी प्राप्तियों से संबंधित 20 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की और 14,151 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 155.25 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण, राजस्व हानि, शास्ति अनारोपण आदि का पता चला । विभाग ने 9,079 प्रकरणों में ₹ 99.46 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2010–11 में हमारे द्वारा इंगित किया गया था । वर्ष 2010–11 के दौरान 731 प्रकरणों में ₹ 85 लाख की राशि वसूल की गयी ।
हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में आबकारी राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 38.74 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहां हमने पाया कि अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को वसूल न की गई/कम वसूल की गई शुल्क, शास्ति एवं वार्षिक फीस को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारंभ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय–3
राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन कार्यरत है । आबकारी आयुक्त विभाग प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर तथा जिलों दोनों में अपर आबकारी आयुक्त, उपायुक्त आबकारी, सहायक आबकारी आयुक्त (स.आ.आ.) और जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.) होते हैं । जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन के प्रमुख हैं तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए सक्षम हैं तथा आबकारी राजस्व की वसूली के लिए उत्तरदायी हैं ।

आसवनियों तथा बोतल भराई संयन्त्रों (विदेशी मदिरा) एवं यवासवनियों के कार्य संचालन का परिवीक्षण सहायक जिला आबकारी अधिकारियों की सहायता से जि.आ.अ. द्वारा किया जाता है ।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाइन ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिक (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य में कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2006–07	1,430.00	1,546.68	(+) 116.68	(+) 8.16	10,473.13	14.77
2007–08	1,750.00	1,853.83	(+) 103.83	(+) 5.93	12,017.64	15.43
2008–09	2,150.00	2,301.95	(+) 151.95	(+) 7.07	13,613.50	16.91
2009–10	2,760.00	2,951.94	(+) 191.94	(+) 6.95	17,272.77	17.09
2010–11	3,400.00	3,603.42	(+) 203.42	(+) 5.98	21,419.33	16.82

राज्य में सकल कर राजस्व में राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्तियों के अंशदान का प्रतिशत 2006–07 से 2009–10 की अवधि के दौरान बढ़ा है किन्तु 2010–11 में कमी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है ।

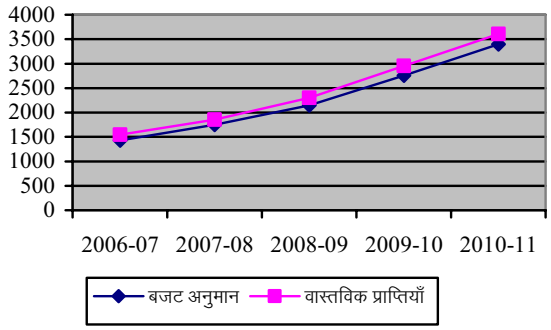

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2010–11 में राज्य उत्पाद से कर संग्रहण में 22.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण नीलाम राशि में वृद्धि होना था ।

3.3 संग्रहण की लागत

विभाग द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 में राज्य उत्पाद शुल्क का सकल संग्रहण, संग्रहण पर व्यय तथा सकल संग्रहण पर व्यय के प्रतिशत के साथ सम्बंधित विगत वर्ष के सकल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण पर व्यय का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत निम्नानुसार दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
2008–09	2,301.95	505.46	21.96	3.27
2009–10	2,951.94	818.34	27.72	3.66
2010–11	3,603.42	963.86	26.75	3.64

राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत की तुलना में असामान्य रूप से अधिक है । हमने अवलोकित किया कि वित्त लेखे में 'वसूली प्रभारों' को दर्शाने वाला कोई पृथक शीर्ष नहीं है जैसा कि विक्रय/व्यापार पर कर, वाहनों पर कर आदि जैसे अन्य करों के बारे में उपलब्ध है तथा व्यय हेतु बजट प्रावधानों से विनिर्माताओं को भुगतान की गयी मदिरा की लागत भी अन्य व्यय के साथ साथ शीर्ष '2039–राज्य आबकारी' के अंतर्गत लेखांकित की जा रही थी ।

शासन द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली तथा निष्पादन के प्रभावी परिवीक्षण के लिए अन्य करों हेतु निर्धारित शीर्षों की तरह ''वसूली प्रभार'' के रूप में पृथक उपशीर्ष खोले जाने पर विचार किया जा सकता है । इससे शासन द्वारा संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के समरूप संग्रहण लागत की स्थिति की तुलना भी की जा सकेगी । यद्यपि 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3.3 में पूर्व में भी यह इंगित किया गया था, किन्तु इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं ।

3.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आबकारी विभाग में एक लेखापरीक्षा कक्ष की स्थापना की गयी है जो मध्य प्रदेश वित्त सेवा के एक संयुक्त संचालक के अधीन है । कोष एवं लेखा संचालनालय, म.प्र. से छः शासकीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापना की गयी है । आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य इस कक्ष द्वारा संचालित किया जाता है ।

प्रत्येक वर्ष आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु एक रोस्टर तैयार किया जाता है । आन्तरिक लेखापरीक्षा सामान्यतः इस रोस्टर के अनुसार की जाती है । वर्ष 2010–11 में आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु नियोजित 50 इकाईयों में से 41 इकाईयों का निरीक्षण किया गया था ।

3.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य उत्पाद शुल्क से संबंधित 20 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 14,151 प्रकरणों में ₹ 155.25 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण प्रकट हुआ, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि	4,336	19.34
2.	लायसेंस फीस/नीलामी फीस के बकाया का संचयन	37	5.10
3	लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	549	0.13
4.	स्पिरिट/मदिरा की अधिक हानियों पर शास्ति/शुल्क का अनारोपण	197	4.38
5.	कम दरों पर संविदा स्वीकार किये जाने के कारण राजस्व हानि	2,581	0.46
6.	अन्य प्रेक्षण	6,451	125.84
योग		**14,151**	**155.25**

विभाग ने वर्ष 2010–11 में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये 9,079 प्रकरणों में ₹ 99.46 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2010–11 में 731 प्रकरणों में ₹ 85 लाख की राशि वसूल की गयी ।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का, जिनमें ₹ 38.74 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

3.6 आबकारी शुल्क की वसूली न होना

3.6.1 निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि कोई भी मादक द्रव्य किसी भी आसवनी, यवासवनी, मद्यभाण्डागार या भण्डारण के किसी अन्य स्थान से निर्यात/परिवहन नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी परिवहित/निर्यात किये जाने वाले मादक द्रव्य की पूरी मात्रा पर आरोपणीय निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा समान राशि की बैंक गारंटी या प्रारूप एफ. एल.23* में उतनी राशि के लिये पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बन्ध पत्र निष्पादित कर प्रस्तुत नहीं करता है। इसके साथ ही लायसेंसधारक आयातक इकाई/विदेशी मदिरा भण्डागार के प्रभारी अधिकारी से एक अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञापत्र की बैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । विफलता की स्थिति में अन्तर्निहित शुल्क की वसूली जमा की गई राशि, प्रस्तुत की गई बैक गारंटी अथवा निष्पादित प्रतिभूति बन्ध पत्र से की जाएगी ।

फरवरी और दिसम्बर 2010 के मध्य छः जिलों[1] की सात विदेशी मदिरा वॉटलिंग इकाईयों[2], तीन यवासवनियों[3] और बाह्य निर्माताओं के दो केन्द्रीय भण्डागारों[4] की निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र पंजियों एवं आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्रों (ई.वी.सी.) में हमने देखा कि अप्रैल 2009 और जुलाई 2010 के मध्य लायसेंसधारकों ने 338 अनुज्ञापत्रों पर 8,88,336.23 प्रूफ लीटर (पी.एल.) विदेशी मदिरा (स्पिरिट) और 6,43,232.16 बल्क लीटर (बी.एल.) बीयर का निर्यात/परिवहन किया

1 छतरपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रायसेन ।

2 मै. काक्स इंडिया लि., नौगांव (छतरपुर), ग्वालियर डिस्टिलर्स लि., रायरू (ग्वालियर), मै. रेडसन डिस्टिलरीज प्रा. लि., जबलपुर, मै. यूनाइटेड स्पिरिट लि., गोविन्दपुरा (भोपाल), मै. यूनाइटेड स्पिरिट लि., सरवर (भोपाल), मै. सोम डिस्टिलरी लि., सेहतगंज (रायसेन) और मै. सोम डिस्टलरी एंड ब्रेवरी लि. रायसेन ।

3 मै. जगपिन ब्रेवरीज लि., नौगांव (छतरपुर), मै. माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि., इंदौर और मै. सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरी लि., रायसेन ।

4 मै. यूनाइटेड ब्रेवरीज लि., भोपाल और मै. मिलेनियम बीयर इण्डस्ट्रीज लि., भोपाल ।

* एफ.एल.9, एफ.एल.9.क/एफ.एल.10.क/एफ.एल.10–ख/बी–3 अनुज्ञप्ति के अनुरूप परिसर से बंधपत्र के अधीन निर्यात/परिवहन के लिये विदेशी मदिरा के हटाये जाने पर निष्पादित किये जाने वाले बंधपत्र का प्रारूप

जिसमें शुल्क[5] ₹ 24.07 करोड़ अन्तर्निहित था । यद्यपि इस प्रकार निर्यात/परिवहन की गई मदिरा की मात्रा की प्राप्ति के सत्यापन प्रतिवेदन गन्तव्य इकाईयों से निर्धारित समय सीमा में प्राप्त नहीं हुये थे, तथापि अनुज्ञात अवधि 40 दिनों के पश्चात एक से 12 माह व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा बैंक गारंटी अथवा बन्धपत्र से शुल्क के समायोजन की कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.07 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित करने पर, आबकारी आयुक्त ने छतरपुर और ग्वालियर जिलों से सम्बन्धित प्रकरणों के बारे में बताया (फरवरी और अप्रैल 2011 के मध्य) कि ग्वालियर जिले के एक सत्यापन प्रतिवेदन को छोड़कर 54 सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं । शेष स.आ.आ./जि.आ.अ. ने बताया (फरवरी 2010 और मार्च 2011 के मध्य) कि 39 सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और 244 सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे । उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा के समय तक विहित अवधि में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर विहित शुल्क वसूली योग्य था, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी ।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को दिसम्बर 2010 और मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया, इनमें से आबकारी आयुक्त के छतरपुर और ग्वालियर जिलों से सम्बन्धित उत्तरों को छोड़कर, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

---

[5] शुल्क की दर – स्पिरिट ₹ 180 और 300 प्रति पी.एल. और बीयर ₹ 30 प्रति बी.एल. वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए ।

3.6.2 निर्यात/परिवहन की गयी स्पिरिट की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर

म.प्र. आसवनी नियम, 1995 में प्रावधान है कि स्पिरिट किसी आसवनी से अन्य आसवनी अथवा मदिरा भण्डागार या बाटलिंग इकाई अथवा मध्य प्रदेश राज्य की अथवा वाह्य राज्यों की औद्योगिक ईकाई को शुल्क का भुगतान किये बिना बिक्रीकर्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित भुगतान के लिए समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ प्रारूप डी–2** में बन्धपत्र निष्पादित करने पर ले जाया जा सकेगा। लायसेंसधारक गन्तव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी से एक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि लायसेंसधारक ऐसा करने में विफल रहता है तो, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित राशि की वसूली निष्पादित प्रतिभूति बन्ध पत्र से की जायेगी । यह नियमों के तहत आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त होगी ।

मई 2009 और मई 2010 के मध्य दो आसवनियो [6] के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने अवलोकित किया कि अक्टूबर 2008 और मार्च 2010 के मध्य की अवधि के दौरान लायसेंसधारकों ने 12 अनुज्ञापत्रों पर 1,19,620.1 प्रूफ लीटर (पी.एल.) एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) / परिशोधित स्पिरिट (आर.एस.), अन्तर्निहित आबकारी शुल्क ₹ 2.07 करोड़ का भुगतान किये बिना अथवा समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ प्रारूप डी–2 में बन्ध पत्र निष्पादित किये बिना निर्यात/परिवहन किया । आसवनियों के प्रभारी अधिकारियों ने बन्ध पत्र निष्पादन के लिए राशि के निर्धारण हेतु प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को प्रेषित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की । इसके अतिरिक्त हमने देखा कि यद्यपि, अनुज्ञात अवधि 40 दिनों के भीतर गन्तव्य इकाईयों से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये गये थे, प्रतिभूति बंध–पत्र निष्पादित न करने के कारण, अनुज्ञप्तिधारकों से राशि की वसूली नहीं हो सकी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं हो सका ।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित करने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 2011) कि ग्वालियर जिले से सम्बन्धित सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं । जि.आ.अ., खरगोन ने बताया (दिसम्बर 2010) कि सभी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं । उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि

---

[6] मै. एसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरी लि., बडवाह, खरगोन और मै. ग्वालियर डिस्टिलर्स लि., रायरू, ग्वालियर ।

** डी–1 अनुज्ञप्ति (आसवनी में स्पिरिट के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति) के अनुज्ञप्त परिसर से बंधपत्र के अधीन निर्यात/परिवहन के लिये स्पिरिट के हटाये जाने पर निष्पादित किये जाने वाले बंधपत्र का प्रारूप ।

विहित अवधि में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर विभाग नियमानुसार शुल्क वसूल करने में विफल रहा ।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को नवंबर 2010 और मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया, इनमें से आबकारी आयुक्त के ग्वालियर जिले के उत्तर को छोड़कर, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

3.7 आबकारी शुल्क की वसूली न होना/शास्ति का अनारोपण

3.7.1 विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन और निर्यात में अमान्य छीजन पर

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि बोतल बन्द विदेशी मदिरा/बीयर के सभी निर्यातों पर दूरी को ध्यान में लाये बिना अधिकतम छीजन की छूट 0.25 प्रतिशत होगी । परिवहन के सभी प्रकरणों में विक्रेता और क्रेता अनुज्ञप्तिधारक एक ही जिले के होने पर यह 0.1 प्रतिशत होगी तथा उनके विभिन्न जिलों के होने पर 0.25 प्रतिशत होगी। बोतल बन्द विदेशी मदिरा/बीयर के निर्यात या परिवहन में छीजन/हानियां अनुमत्य सीमा से अधिक होने पर अनुज्ञप्तिधारक से विहित शुल्क वसूल किया जाएगा । आगे, राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर 2008 द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार, नियमों के तहत अनुमत्य सीमाओं से अधिक सभी कमियों पर अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा पर तत्समय देय अधिकतम शुल्क के तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक की दर से शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जो आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपित की जायेगी।

मई 2009 और फरवरी 2011 के मध्य हमने 10 जिलों[7] के चार विदेशी मदिरा भण्डागारों [8] , चार आसवनियों[9] , छः यवासवनियों [10] और एक सी.एस.डी.[11] के आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्रों (ई.वी.सी.) में अवलोकित किया कि मई 2008 और जनवरी 2011 के मध्य की अवधि में विदेशी मदिरा/बीयर के निर्यात/परिवहन के दौरान 3,160 प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारकों

7 भोपाल, छतरपुर, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, मुरैना और रायसेन ।

8 ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और इटारसी (होशंगाबाद) ।

9 मै. यूनाइटेड स्पिरिट लि. (सरवर) भोपाल, मै. ओयसिस डिस्टिलरी लि. धार, मै. ग्वालियर डिस्टिलर्स लि. (रायरू), ग्वालियर और एसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरी लि., खोडीग्राम, खरगोन ।

10 मै. लीला सन्स ब्रेवरी लि. भोपाल, मै. जगपिन ब्रेवरीज लि. (नौगांव) छतरपुर, मै. एम.पी. बीयर प्रोडक्ट्स लि., इंदौर, मै. माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि., इंदौर, मै. स्कॉल ब्रेवरीज लि. (बानमोर), मुरैना और मै. सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि., रायसेन ।

11 कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट, जबलपुर ।

द्वारा 29,299.67 पी.एल. स्पिरिट तथा 1,11,321.7 बी.एल. बीयर की अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन दर्शाई गई थी, जिस पर उनसे शुल्क/न्यूनतम शास्ति ₹ 6.71 करोड़ वसूली योग्य थी । तथापि, विभाग ने शास्ति आरोपित/वसूली नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.71 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (फरवरी 2011) कि छतरपुर और खरगौन जिले से सम्बन्धित प्रकरणों को सम्बन्धित संभाग के उपायुक्त आबकारी को शास्ति आरोपण के लिए भेजा गया है और तदनुसार वसूली की कार्रवाई की जायेगी । जि.आ.अ., धार ने बताया (मार्च 2011) कि ₹ 34,365 की राशि वसूल कर ली गई है । स.आ.अ., जबलपुर ने सी.एस.डी. के संबंध में और रायसेन ने दिसम्बर 2009 और सितम्बर 2010 में बताया कि संभाग के उपायुक्त आबकारी को प्रकरण शास्ति आरोपण हेतु भेजे जायेंगे और उनके आदेशानुसार कार्रवाई की जायेगी । शेष आबकारी अधिकारियों ने बताया (अप्रैल 2010 और फरवरी 2011 के मध्य) कि शास्ति आरोपण हेतु प्रकरणों को संभाग के उपायुक्त आबकारी को भेजा गया है और शास्ति आरोपण के बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

हमने मामलों को आबकारी आयुक्त और शासन को दिसम्बर 2010 और मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया; आबकारी आयुक्त के छतरपुर और खरगौन जिलों के उत्तरों को छोड़कर, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2012) ।

3.7.2 स्पिरिट/देशी मदिरा की अमान्य छीजन पर

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों में एक आसवनी/ भण्डागार से दूसरे आसवनी/भण्डागार को टैकरों से परिवहन या निर्यात की गई स्पिरिट/ई.एन.ए. पर रिसाव या वाष्पीकरण के लिए दूरी के आधार पर 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक छीजन अनुमत्य है । इसके अलावा म.प्र. देशी स्पिरिट नियमों में विनिर्माण भण्डागार से भण्डारण के भण्डागारों तक बोतलबंद देशी मदिरा के परिवहन में दूरी को ध्यान में लाये बिना अधिकतम छीजन छूट 0.5 प्रतिशत अनुमत्य है । अनुमत्य सीमा से अधिक सभी छीजनों पर लायसेंसधारक तत्समय देशी मदिरा पर देय शुल्क के तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक की दर से शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा ।

सितम्बर 2009 और जून 2010 के मध्य हमने पांच जिलों[12] की एक आसवनी[13], दो देशी मदिरा भण्डागारों[14], और तीन डी.ई.ओ.[15] कार्यालयों में ई.वी.सी. के अभिलेखों में अवलोकित किया कि मार्च 2009 और मार्च 2010 के मध्य की अवधि में ई.एन.ए.[16] /स्पिरिट/बोतलबंद देशी मदिरा के निर्यात/ परिवहन के दौरान 117 प्रकरणों में लायसेंसधारकों द्वारा 42,524.75 पी.एल. स्पिरिट की अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन दर्शाई गयी थी, जिस पर उनसे न्यूनतम शास्ति ₹ 1.91 करोड़ वसूली योग्य थी । तथापि यह देखा गया कि विभाग द्वारा शास्ति आरोपण और वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने सूचित किया (मार्च 2011) कि जि.आ.अ., छतरपुर ने ₹ 38,000 की वसूली कर ली है । स.आ.आ., ग्वालियर ने बताया (फरवरी 2011) कि आसवक पर ₹ 1.73 लाख की शास्ति आरोपित की गई और राशि जमा करने के लिए उसे सूचनापत्र जारी किया गया था (जुलाई 2010) लेकिन, उसकी अपील पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्थगन देने के कारण उसके द्वारा राशि जमा नहीं की गई । उन्होंने आगे बताया कि आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण करने के बाद वसूली की कार्रवाई की जायेगी । देवास और खरगोन के आबकारी अधिकारियों ने अप्रैल और जून 2010 के मध्य बताया कि प्रकरणों को शास्ति आरोपण हेतु उच्च प्राधिकारियों को भेजा गया है और

12 छतरपुर, देवास, ग्वालियर, खरगौन और टीकमगढ़ ।

13 मै. एसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरी लि. बड़वाह (खरगौन) ।

14 डबरा (ग्वालियर) और खरगौन ।

15 छतरपुर, देवास और टीकमगढ़ ।

16 अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल)।

शास्ति आरोपण के बाद वसूली की जायेगी । आगामी प्रतिवेदन और शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

हमने मामलों को आबकारी आयुक्त और शासन को दिसम्बर 2010 एवं मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया; जिनमें से आबकारी आयुक्त के छतरपुर जिले के उत्तर को छोड़कर, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

3.8 स्पिरिट/विदेशी मदिरा की कमी पर शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के अनुसार विदेशी मदिरा की विनिर्माण ईकाई (एफ.एल. 9[#] और एफ.एल. 9 क[##] अनुज्ञप्तिधारक) में विदेशी मदिरा की आसवन और बोतल भराई की प्रक्रियाओं के दौरान, रैकिंग, भण्डारण, वाष्पीकरण आदि में स्पिरिट की 1.5 प्रतिशत की दर से छीजन मान्य है । विहित सीमा से अधिक सभी कमियों पर लायसेंसधारक ऐसी शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जो विदेशी मदिरा पर तत्समय देय अधिकतम शुल्क के तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक होगी, जो आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायेगी ।

दिसम्बर 2010 में मैसर्स एस.जी. डिस्टिलरीज, जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि 9 दिसम्बर 2010 को लायसेंसधारक द्वारा रखे गये स्कन्ध का आबकारी प्राधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर 8,021.9 पी.एल. स्पिरिट और 2,479.14 पी.एल. बोतल बंद विदेशी मदिरा की कमी पाई गई । अतएव अनुमत्य सीमा से अधिक पाई कमी 10,088.35 [17] पी.एल. स्पिरिट पर न्यूनतम शास्ति ₹ 2.06 करोड़ वसूली योग्य थी । तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने शास्ति के आरोपण और वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका ।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को मार्च और मई 2011 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

---

17 पुस्तकों के अनुसार शेष 27,512.87 पी.एल., भौतिक सत्यापन पर पाया गया शेष 17,011.83 पी.एल., कमी 10,501.04 पी.एल., मान्य 412.69 पी.एल., इस प्रकार अधिक 10,088.35 पी.एल.

\# एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति–समिश्रण द्वारा विदेशी मदिरा का विनिर्माण एवं बोतल भराई

\## विदेशी बोतल भराई विशेष अनुज्ञप्ति (एफ.एल.9–क) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किया जा सकता है जो मध्यप्रदेश के बाहर देश के किसी भाग में समान/समरूप अनुज्ञप्ति धारक द्वारा विदेशी मदिरा की उल्लिखित ब्रान्ड/ब्रान्डों की बोतल भराई हेतु अधिकृत किया गया हो ।

3.9 वार्षिक लायसेंस फीस की कम वसूली

आबकारी आयुक्त, ग्वालियर द्वारा जारी अधिसूचना (वर्ष 2009–10 के लिये मदिरा दुकानों में मदिरा विक्रय के लिये) दिनांक 16 जनवरी 2009 में प्रावधान है कि समूह की दुकानों में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में और इसका उल्टा अधिकतम 20 प्रतिशत लायसेंस फीस का समायोजन लायसेंसी की मांग और आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उपायुक्त के अनुमोदन उपरान्त अनुमत्य किया जा सकेगा । इसकी सूचना सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समायोजन के समय आबकारी आयुक्त को भी भेजी जायेगी । इसके अतिरिक्त समूह की दुकानों का पृथक पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होगा ।

अगस्त 2010 और फरवरी 2011 के मध्य दो जिला आबकारी कार्यालयों [18] के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2009–10 में छः विभिन्न समूहों की छः विदेशी मदिरा दुकानों[19] की लायसेंस फीस ₹ 3.86 करोड़ थी । संभाग के उपायुक्त के अनुमोदन से सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी ने समूहों के भीतर की आठ देशी मदिरा दुकानों [20] की अवधि मई 2009 (द्वितीय पक्ष) से मार्च 2010 तक की 20 प्रतिशत लायसेंस फीस ₹ 1.11 करोड़ का समायोजन अनुमत्य किया था । इस प्रकार वर्ष 2009–10 के लिए विदेशी मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस ₹ 4.97 करोड़ संगणित हुई । तथापि, यह देखा गया कि ₹ 87 लाख की वसूली शेष छोड़कर विदेशी मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस मात्र ₹ 4.10 करोड़ जमा की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 87 लाख की लायसेंस फीस कम प्राप्त हुई ।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित करने पर, स.आ.आ., सागर ने बताया (अगस्त 2010) कि लायसेंसधारकों द्वारा समायोजन की 20 प्रतिशत अधिकतम सीमा के तहत आवश्यकता अनुसार मदिरा का प्रदाय लिया गया तथा समूह की विहित लायसेंस फीस जमा की गई । इस कारण शासन को हानि नहीं हुई है । जि.आ.अ., होशंगाबाद ने बताया (फरवरी 2011) कि लायसेंसधारकों ने 20 प्रतिशत समायोजन का फायदा नहीं उठाया और लायसेंस फीस की कोई राशि वसूली के लिए शेष नहीं रही है । इस कारण शासन को हानि नहीं हुई है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान अथवा इसके उलट लायसेंस फीस के समायोजन का आदेश पारित होने के बाद अनुज्ञप्तिधारक द्वारा आवेदित दुकान की अधिक

18 डी.ई.ओ. होशंगाबाद और ए.ई.सी. सागर ।

19 सागर जिले की –गढ़ाकोटा, देवरी, मण्डीबामोरा, शाहगढ़, और होशंगाबाद जिले की – पंचमढ़ी, सोहागपुर ।

20 गढ़ाकोटा, देवरी, मण्डीबामोरा, शाहगढ़, पंचमढ़ी, सिलारी चौक, इतवारा और सोहागपुर ।

मात्रा के अनुसार अतिरिक्त लायसेंस फीस अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी भले ही अनुज्ञप्तिधारी बढ़ी हुई मात्रा नहीं उठाता है या जिस मदिरा दुकान में मात्रा घटाया जाना आवेदित किया है उसकी कुल लायसेंस फीस जमा की गई हो ।

हमने मामले को जनवरी एवं मई 2011 के मध्य आबकारी आयुक्त और शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

3.10 विदेशी मदिरा का निवर्तन न करने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि अनुज्ञप्ति या लेबल की समाप्ति, नवीनीकरण न होने तथा निरस्तीकरण के प्रकरणों में, लायसेंसधारक मदिरा का सम्पूर्ण स्कन्ध जि.आ.अ. के नियंत्रणाधीन रखेगा । हालांकि , उसे उक्त स्कन्ध को लायसेंस अथवा लेवलों की समाप्ति, नवीनीकरण न होने अथवा निरस्तीकरण के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किसी अन्य लायसेंसधारक को बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, इसमें उसके विफल रहने पर ई.सी. राज्य के किसी अन्य पात्र लायसेंसधारक से ऐसे स्कन्ध को क्रय करने के लिए कह सकता है या नष्टीकरण के माध्यम से स्कन्ध के निवर्तन के आदेश दे सकेगा ।

मई और जून 2010 के मध्य एक विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाई [21] और दो विदेशी मदिरा भण्डागारों[22] में हमने अवलोकित किया कि विनिर्माण इकाईयों की अनुज्ञप्तियों की समाप्ति पर मदिरा के लेवलों का नवीनीकरण न होने पर विदेशी मदिरा भण्डागारों में 12,938.318 पी.एल. बोतल बंद विदेशी मदिरा तथा बोतल भराई इकाई में 27,515.97 पी.एल. का स्टॉक दो से 50 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अनिवर्तित पड़ा हुआ था जिसके निवर्तन के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकांश प्रकरणों में आदेश प्रदान न करने से निवर्तन की कार्यवाही नहीं हो सकी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 79.03 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने पर, स.आ.आ., भोपाल और ग्वालियर ने क्रमशः जून 2010 और मार्च 2011 में बताया कि आबकारी आयुक्त को विदेशी मदिरा के निवर्तन के लिये प्रस्ताव भेजा गया है (सितम्बर 2010 और मार्च 2011 के मध्य) और उनके आदेशों के प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012) ।

---

21 मै. विनायक डिस्टिलरी लि., ग्वालियर (एफ.एल. 9) ।

22 भोपाल और ग्वालियर ।

हमने प्रकरण को ई.सी. और शासन को जनवरी और मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

3.11 मदिरा के अनियमित प्रदाय पर शुल्क की वसूली न होना

आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी 2009 के तहत जारी वर्ष 2009–10 के लिये दुकानों से मदिरा विक्रय की शर्तों में प्रावधान है कि मदिरा दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस को अनुज्ञप्ति धारक 24 पाक्षिक किश्तों में उसमें निर्धारित नियत दिनांकों को भुगतान करेगा । इसके अलावा अधिसूचना में प्रावधान है कि अन्तिम किश्त अनिवार्यतः 25 मार्च 2010 तक जमा करेगा, इसमें विफलता पर जमाओं पर मदिरा प्रदाय नहीं दिया जायेगा । इसके अलावा विभागीय निर्देशों (02 दिसम्बर 2008) में प्रावधान है कि नियत दिनांक के बाद जमा की गई वार्षिक लायसेंस फीस की किश्तों पर दिया गया प्रदाय अवैध है तथा ऐसे प्रकरणों में ब्याज सहित शुल्क वसूली योग्य होगा । यद्यपि निर्देशों में ब्याज दर का हवाला नहीं था ।

जुलाई और नवम्बर 2010 के मध्य हमने दो जिला आबकारी कार्यालयों [23] के अभिलेखों (लायसेंस फीस की माँग एवं वसूली पंजी (जी–2) चालान एवं मदिरा प्रदाय पंजी) की नमूना जांच में अवलोकित किया कि 10 मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारकों ने निर्धारित पाक्षिक लायसेंस फीस ₹ 24.23 लाख नियत तिथियों के बाद जमा की थी । इसके अतिरिक्त, 12 मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारकों ने वर्ष 2009–10 की वार्षिक लायसेंस फीस की अन्तिम किस्त की राशि ₹ 26.07 लाख को 25 मार्च 2010 को या इसके पूर्व जमा नहीं किया था । विलम्ब निर्धारित दिनांक के बाद एक से छः दिनों के मध्य था । इस प्रकार, उन अनुज्ञप्तिधारकों को नियमानुसार इस पर मदिरा प्रदाय अनुमत्य नहीं था । तथापि, यह देखा गया कि नियत दिनांक के बाद जमा की गई राशि पर विभाग ने मदिरा का प्रदाय किया था । इसके परिणामस्वरूप अन्तर्निहित शुल्क ₹ 50.30 लाख की मदिरा का अनियमित प्रदाय हुआ जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित थी । तथापि, विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

हमने प्रकरण को आबकारी आयुक्त और शासन को मार्च और मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2012) ।

[23] छिंदवाड़ा और इन्दौर ।

3.12 देशी मदिरा का अनियमित प्रदाय

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी 2009 के तहत जारी वर्ष 2009–10 के लिये दुकानों के माध्यम से मदिरा विक्रय की शर्तों में प्रावधान है कि फुटकर बिक्री की मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 की समाप्ति के पूर्व जब भी अग्रिम प्रतिभूति की राशि को कम कर, शेष वार्षिक लायसेंस फीस की राशि एवं अन्य देय राशि जमा कर दी जाती है तथा वह प्रतिभूति जमा राशि का समायोजन, शेष बची लायसेंस फीस के विरूद्ध चाहता है तो, स.आ.आ./जि.आ.अ. ऐसे समायोजन की स्वीकृति दे सकेंगे । प्रावधानों के अनुसार इस जमा प्रतिभूति के बराबर राशि पर मदिरा का प्रदाय अनुमत्य होगा, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित पाक्षिक लायसेंस फीस से अधिक राशि की मदिरा का प्रदाय अनुमत्य नहीं होगा ।

जुलाई और नवम्बर 2010 के मध्य दो सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयों[24] के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने अवलोकित किया कि जनवरी 2010 के अंत में, सात मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारकों को ₹ 78.02 लाख प्रतिभूति जमाओं के समायोजन की अनुमति दी गई, जिसमें से मार्च 2010 के प्रथम और द्वितीय पक्षों में राशि ₹ 76.47 लाख पर अनुज्ञप्तिधारकों को मदिरा का प्रदाय अनुमत्य किया गया जो पक्ष की निर्धारित लायसेंस फीस ₹ 40.97 लाख से ₹ 35.50 लाख अधिक था । इसके परिणामस्वरूप अन्तर्निहित शुल्क ₹ 35.50 लाख की मदिरा का अनियमित प्रदाय हुआ ।

हमने प्रकरण आबकारी आयुक्त और शासन को जनवरी और मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

[24] इंदौर और सागर ।

3.13 स्पिरिट और विदेशी मदिरा की छीजन की गलत छूट

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि विदेशी मदिरा विनिर्माण के दौरान समिश्रण की क्रियाओं में समिश्रण कुण्ड* में मिलाई गई स्पिरिट/अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल (ई.एन.ए.) की मात्रा के एक प्रतिशत की दर से छीजन अनुमत्य है । अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन होने पर, लायसेंसधारक ऐसी शास्ति भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जो विदेशी मदिरा पर तत्समय देय अधिकतम शुल्क के तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक होगी, जो आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये ।

दिसम्बर 2010 में एक आसवनी[25] के अभिलेखों में हमने अवलोकित किया कि दिसम्बर 2009 और अक्टूबर 2010 के मध्य 88 प्रकरणों में विदेशी मदिरा विनिर्माण के लिए भण्डारण कुण्डों से समिश्रण कुण्डों में 2.22 लाख पी.एल. ई.एन.ए. स्थानांतरित किया गया तथा भण्डारण कुण्डों में 886.45 पी.एल. की छीजन समिश्रण मद में दर्शाई गई। क्योंकि भण्डारण कुण्डों में कोई समिश्रण की क्रियायें नहीं हुई थी अतः यह छीजन अनुमत्य नहीं थी। इसके अलावा 17 प्रकरणों में, विदेशी मदिरा निर्माण के लिए समिश्रण कुण्डों में 26,573.15 पी.एल., ई.एन.ए. मिलाया गया तथा 299.7 पी.एल. की समिश्रण छीजन दर्शाई गई, जो अनुमत्य सीमा 265.8 पी.एल. से 33.9 पी.एल अधिक थी । इस प्रकार कुल 920.35 पी.एल. ई.एन.ए./विदेशी मदिरा की छीजन अनुमत्य नहीं थी जिस पर न्यूनतम शास्ति ₹ 18.72 लाख आरोपणीय थी । तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने शास्ति आरोपण और वसूली नहीं की थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.72 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका ।

हमने मामले को आबकारी आयुक्त और शासन को मार्च एवं मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

* विदेशी मदिरा विनिर्माण कुण्ड ।

25 मै. रेडसन डिस्टिलरी (एफ.एल. 9) जबलपुर ।